न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी –रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र – 76/2018

प्रार्थीगण–

1. गोपालराम पुत्र जयराम
2. शिवनारायण पुत्र भोपालराम
3. भंवरी पत्नी श्री शिवनारायण
   जाति–जाट निवासी–दूगोली, तहसील–जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 14/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम दूगोली तहसील जायल में गत खसरा नं. 766 (767), सम्वत् 2006 में ईमान बक्ष/दीना मुस्लमान के खातेदारी में दर्ज थी जिसको खसरा नं. 1073 में गलत शामिल किया गया है जो मंदिर की डोली या गौचर, अंगोर, नाडी, तालाब की भूमि नहीं रहना साबित है जो भूमि प्रार्थी गोपालराम की खातेदारी में दर्ज रही है, जिसकी खतौनी में चौसाला सम्वत 2068 से 2071 तक कोई नोट नही था, किन्तु चौसाला सम्वत् 2012 से 2075 में नोट लगा दिया कि खसरा नं. 1073/4 रकबा 15 बीघा अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रमाणित है किन्तु यह खेत सम्वत् 2006 में पायतन, अंगोर, नाडी, तालाब दर्ज नहीं है। इसी प्रकार हाल खसरा नं. 1073/5 रकबा 28 बीघा पर अब्दूल रहमान के प्रकरण का नोट लगा दिया है जो सम्वत् 2006 में हनुमानसिंह जागीरदार का थ गौचर नाडी पायतन नही था। इस खेत के गत खसरा नं. 769 थे जिसे वर्तमान में खसरा नं. 1073

14/6/2022
सहायक कलक्टर
(उप.मो.) जायल

में मिला दिया है। इसी प्रकार से खसरा नं. 1073/6 रकबा 9 बीधा पर अब्दूल रहमान का नोट गलत दर्ज कर दिया है, जबकि प्रार्थी भंवरी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 770 की खातेदारी सम्वत 2006 में भीमा बैवा चतरा वगैरह के नाम थी जो बापी खातेदार थे। अतः सम्वत् 2003 की नक्श माफिक खसरा नं. 767 खसरा नं. 769, 770 तीनो अलग–2 खेत थे जिसकी खातेदारी उपरोक्त विवरण माफिक अलग–2 खातेदारों के नाम थी जिसके खसरा नं. 1073 का ही भाग गलत बताया है।

प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि खसरा नं. 767 का कुल रकबा 59.09 बीघा था जिसके उतरी भाग खसरा नं. 15.09 बीध्घा ईमाम बक्ष के खातेदारी में था जो खतौनी सम्वत् 2006 में साबित है फिर भी इसे अब्दूल रहमान से प्रभावित करना गलत है। इस प्रकार गलत नोट के अंकन से प्रार्थी परेशान है कानूनी अड़चनो से प्रार्थीगण को फसानें को कोई आधार ही नही है। अतः प्रार्थीगण के खतेदारी खेत खसरा नं. 1073/4, 1073/5 व 1073/6 पर अब्दूल रहमान से प्रभावित नोट हटाने के आदेश तहसीलदार जायल के नाम जारी करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/665 दिनांक 09.02.2021 की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मौजा दूगोली के खेत खसरा नं. 1073/5 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, किस्म बारानी–1 शिवनारायण पुत्र भोपालराम, रहन आर.एम.जी.बी. व खसरा नं. 1073/5 अब्दूल प्रकरण से संबंधित होना बताया है। इसी प्रकार खसरा नं. 1073/4 प्रार्थी गोपालराम पुत्र जयराम रहन एसबीआई जायल अब्दूल रहमान से संबंधित बताया है साथ ही मौका रिपोर्ट में बताया है कि सम्वत् 2006 की जमाबंदी व नक्शा व वर्तमान नक्शा से मिलान किये जाने पर उक्त भूमि अंगोर पायतन नही होना बताया है तथा खातेदार जागीरदार के नाम दर्ज होना बताया है साथ विवादग्रस्त खेताय की खतौनी में अंकीत अब्दूल रहमान संबंधीत नोट को हटाया जाना उचित बताया है तथा खातेदार भंवरी पत्नी शिवनारायण को फौत होना मौका रिपोर्ट में जाहिर किया।

प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थी भंवरी के फौत हो जाने पर उसके कायम मुकाम मनफूल, मनीराम पुत्री संतोष व जड़ाव को पक्षकार संयोजित किये जाने तथा प्रकरण में रेकर्ड पर लेने बाबत् पेश किया जो स्वीकार किया गया।

सहायक कलक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील प्रार्थी ने नकल खतौनी ग्राम दूगोली सम्वत् 2068–71 से 2072–2075 खाता संख्या 148, 814, 467, 875, 490, 151, प्रदर्श– 1 से 6 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से सम्वत् 2063 खाता संख्या 517, 398, 416, 479, 510, 419, 386, 385 प्रस्तुत की। इसके अलावा भू–प्रबध विभाग खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 तथा नकल जमाबंदी ग्राम दूगोल सम्वत 2011 से 2015 एवं सम्वत् 2016 से 2019 एवं सम्वत 2020 की जमाबंदी पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा प्रकरण के साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित राजस्व रिकॉर्ड में दूगोली के वर्तमान खसरा नं., 1073/4 , 1073/5 , 1073/6 में गलत अंकित पैन्सल नोट अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित को हटाने का निवेदन किया तथा उक्त खसरान की भूमि के संबंध में उक्त गलत नोट को हटाते हुये राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज दूगोली तहसील के नकल खतौनी ग्राम दूगोली सम्वत् 2068–71 से 2072–2075 खाता संख्या 148, 814, 467, 875, 490, 151, प्रदर्श– 1 से 6 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से सम्वत् 2063 खाता संख्या 517, 398, 416, 479, 510, 419, 386, 385 वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि है। चौसाला सम्वत 2068 से 2071 तक कोई नोट नही था, किन्तु चौसाला सम्वत् 2012 से 2075 में खसरा नं. 1073/4 रकबा 15 बीघा अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित का नोट अंकित है किन्तु यह खेत सम्वत् 2006 में पायतन, अंगोर, नाडी, तालाब दर्ज नहीं है। इसी प्रकार हाल खसरा नं. 1073/5 रकबा 28 बीघा पर अब्दूल रहमान के प्रकरण का नोट लगा दिया है जो सम्वत् 2006 में हनुमानसिंह जागीरदार का थ गौचर नाडी पायतन नही था। इस खेत के गत खसरा नं. 769 थे जिसे वर्तमान में खसरा नं. 1073 में मिला दिया है। इसी प्रकार से खसरा नं. 1073/6 रकबा 9 बीधा पर अब्दूल रहमान का नोट गलत दर्ज कर दिया है, जबकि प्रार्थी भंवरी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 770 की खातेदारी सम्वत 2006 में भीमा बैवा चतरा वगैरह के नाम थी जो बापी खातेदार थे। अतः सम्वत् 2006 की नक्शा माफिक खसरा नं. 767 खसरा नं. 769, 770 तीनो अलग–2 खेत थे जिसकी खातेदारी अलग–2 खातेदारों के नाम थी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

खसरा नं. 767 का कुल रकबा 59.09 बीघा था जिसके उतरी भाग खसरा नं. 15.09 बीघ्घा ईमाम बक्ष के खातेदारी में था जो खतौनी सम्वत् 2006 में साबित है फिर भी इसे अब्दूल रहमान से प्रभावित करना गलत है। इस प्रकार गलत नोट के अंकन से प्रार्थी परेशान है कानूनी अड़चनो से प्रार्थीगण को फसानें को कोई आधार ही नही है। जो कि तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 1073/4, 1073/5 व 1073/6 पर अब्दूल रहमान से प्रभावित नोट हटाने के आदेश तहसीलदार जायल के नाम जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ अधीन धारा 136 आर. एल. आर एक्ट में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त समस्या समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उक्त गलत अब्दूल रहमान से प्रभावित भूमि का अंकन हो जाने से नहीं मिल रहा है।

अतः राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त भाक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 875, 490, 151 खसरा नं. क्रमशः 1073/5, 1073/6, 1073/4 में लाल स्याही से किया गया अब्दूल रहमान से संबंधित नोट हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 88 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम दूगोली तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 875, 490, 151 खसरा नं. क्रमशः 1073/5, 1073/6, 1073/4 में लाल स्याही से किया गया अब्दूल रहमान से संबंधित नोट हटाया जावे तथा दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14/6/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

14/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल